रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/48/2021

पीठासीन: **श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना**

संस्थन की तिथि: 23.02.2021
निर्णय की तिथि: 11.12.2025

1. **श्रवण सिंह (मृतका का पति)(S/O- नंदलाल सिंह)**
2. **अहना सिंह (मृतका की पुत्री) (D/O- श्रवण सिंह)**
3. **रूद्र प्रताप सिंह (मृतका का पुत्र)(S/O- श्रवण सिंह)**

सभी निवासी ग्राम– फेसुडा,
पोस्ट– फेसुडा, थाना– सैयदराजा, जिला–चंदौली,
राज्य– उत्तरप्रदेश, पिन कोड– 232110 .... याचीगण

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर ....उत्तरदाता

दावा राशि: ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थिति:
वादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री रवि रंजन कुमार– उपस्थित।
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री आर के शर्मा– उपस्थित।

निर्णय

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी) :

1. याचीगण श्रवण सिंह व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत नीरज उर्फ नीरज देवी की रेल घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका नीरज उर्फ नीरज देवी दिनांक 08.01.2020 को अपने मामा राजीव रंजन सिंह की उपस्थिति में द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट खरीदकर सासाराम जं0 से कुदरा जं0 की यात्रा किसी एक्सप्रेस ट्रेन से कर रही थी। उक्त ट्रेन जब कुदरा स्टेशन के पूरब पोल नं0 597/11A के नजदीक से गुजर रही थी तभी यात्रियों की अत्यधिक भीड़ एवं धक्का–धुक्की के कारण मृतका अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट कहीं खो गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुएयाची के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन तथ्यों या विधि के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। मृतका के कब्जे से कोई रेलवे टिकट नहीं पाया गया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। संबंधित रेल पटरी पूरी तरह से चलने योग्य थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने बताया कि ड्यूटी के दौरान कोई घटना नहीं घटी। मृतका अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार कर रही थी तथा वह चलती ट्रेन के संपर्क में आ गयी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दावेदार रेलवे से मुआवजे का हकदार नहीं है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 29.06.2021 को विरचित किये गये:–

1. Whether deceased was a bonafide passenger of unknown train ?

2. Whether death of the deceased is covered under section 123 (c) (2) of the Railway Act. 1989?

3. Whether applicant/dependents are dependents of the deceased?

4. Whether applicant/dependents are entitled to receive compensation, if yes, to what extent?

5. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में श्रवण सिंह को ए.डब्ल्यू–01 तथा राजीव रंजन कुमार को ए.डब्ल्यू–02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मेमो (प्रदर्श A/1), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श A/2), शव चालान (प्रदर्श A/3), आवेदन (प्रदर्श A/4), एफआईआर (प्रदर्श A/5), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श A/6), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श A/7), आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श A/8) एवं आवेदक का आधार कार्ड (प्रदर्श A/9) की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या मय दस्तावेज (सामूहिक रूप से प्रदर्श आर– R/1) प्रस्तुत किये गये हैं। उत्तरदाता की ओर से अपनी साक्ष्य में कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 व 02

9. उक्त दोनों वाद बिन्दु एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

10. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (c) में अनपेक्षित घटना को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है–

धारा 123 (c):

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाडी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाडी से किसी यात्री का घटनास्वरूप गिर पड़ना।

11. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2(29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

इस परिभाषा का तात्पर्य यह भी है कि जो व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है उसे यात्री नहीं माना जा सकता है।

12. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124–ए में अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है:–

***धारा 124A–** अनपेक्षित घटनाओं के मद्दे प्रतिकर– जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है तब चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हुआ हो या न हुआ हो, जो उस यात्रा को जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है या उस यात्री के जिसकी मृत्यु हो गयी है, आश्रित को उसके बारे में अनुपोषण करने और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनाता है, रेल प्रशासन, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की हुयी मृत्यु या उसको हुयी क्षति द्वारा पहुँची हानि के लिए उस सीमा तक जो विहित की जाय और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगा:*

परन्तु इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा, यदि यात्री की निम्नलिखित के कारण मृत्यु होती है या उसको क्षति होता है, अर्थात्–

(क) उसके द्वारा आत्महत्या या किया गया आत्महत्या का प्रयत्न;

(ख) उसके द्वारा स्वयं को पहुंचायी गयी क्षति;

(ग) उसका अपना आपराधिक कार्य;

(घ) उसके द्वारा मत्तता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई कार्य;

(ड.) कोई प्राकृतिक कारण या बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुयी क्षति के लिए आवश्यक नहीं हो जाता है।

13. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में मृतका नीरज उर्फ नीरज देवी दिनांक 08.01.2020 को अपने मामा राजीव रंजन सिंह की उपस्थिति में द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट खरीदकर सासाराम जं0 से कुदरा जं0 की यात्रा किसी एक्सप्रेस ट्रेन से कर रही थी। उक्त ट्रेन जब कुदरा स्टेशन के पूरब पोल नं0 597/11A के नजदीक से गुजर रही थी तभी यात्रियों की अत्यधिक भीड़ एवं धक्का–धुक्की के कारण मृतका अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गयी। इस दुर्घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में यात्रा टिकट कहीं खो गया।

14. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में यदि यात्रा के दौरान मृतका के पास यात्रा टिकट होता तो वह टिकट पुलिस द्वारा कम से कम मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के समय मृतका के पास से बरामद किया जाता। चूंकि साक्षी राजीव रंजन सिंह (ए.डब्ल्यू–02) मृतका का मामा है, अतः उसने टिकट से सम्बन्धित साक्ष्य को साबित करने के लिए मनगढन्त बयान दिया है, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

15. याची श्रवण सिंह (ए.डब्ल्यू.–1) ने अपने शपथ पत्र के पैरा 3 एवं 4 में कथन किया है कि–

*3. यह कि **मेरी मृतक पत्नी के मामा ने सासाराम जंक्शन से कुदरा स्टेशन तक का द्वितीय श्रेणी का एक्सप्रेस टिकट खरीद कर मेरी पत्नी को सौंप दिए।***

4. यह कि मामा द्वारा अपने लिए एक प्लेटफार्म टिकट भी खरीदा गया।

16. याची श्रवण सिंह (ए.डब्ल्यू.–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

दिनांक 8.01.20 को मैं अपने गांव पर था। नीरज देवी मेरी पत्नी थी। मैं दूसरी शादी नहीं किया हूं। मैं अपने परिवार का जिक्र शपथ पत्र के पैरा-8 में किया हूं। यह केस दावा लेने के लिए मैंने किया हूं। इसके पहले पुलिस में कोई बयान नहीं दिया था। मैं अपने पत्नी का डेथ बॉडी शाम को अस्पताल में देखा था। गवाह को आरपीएफ के समक्ष दिया गया बयान को दिखाया गया, इन्होंने अपने बयान को पहचान किया जिसे AW-1 प्रदर्श किया गया। शपथ पत्र मैंने टाइप करवाया हूं। **मेरे मामा ने पत्नी को टिकट खरीदकर ट्रेन में चढ़ाया थे, यह बात पुलिस को नहीं बताया था।** मैं शाम को सासाराम पहुंचा था। मुझे घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ससुर जी पहुंच गये थे। मैंने जीआरपी पुलिस स्टेशन जाकर कार्रवाई की थी। मैं अपने पत्नी को यात्रा टिकट कटाते, ट्रेन में में चढ़ते या ट्रेन से गिरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। घटना के वक्त मैं घर पर था। प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के लिए किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा नहीं किया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए आया हूं। ऐसी बात नहीं है कि मेरी पत्नी ट्रेन का सद्भावी यात्री न हो ।

17. साक्षी राजीव रंजन कुमार (ए.डब्ल्यू.–2) ने अपने शपथ पत्र के पैरा 3 एवं 4 में कथन किया है कि–

3. यह कि मुझ शपथकर्ता द्वारा सासाराम जंक्शन से कुदरा स्टेशन तक का द्वितीय श्रेणी का एक्सप्रेस टिकट खरीद कर अपनी भांजी को दिया गया।

4. यह कि मुझ शपथकर्ता द्वारा अपने लिए एक प्लेटफार्म टिकट भी खरीदा गया।

18. साक्षी राजीव रंजन कुमार (ए.डब्ल्यू.–2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

शपथ पत्र में लिखे तथ्य कुछ मेरी निजी जानकारी पर आधारित है तथा कुछ तथ्य अन्य लोगों से सुनने के आधार पर लिखे गये हैं। जिस समय मैं अपनी भांजी को सासाराम जं पर गया था उस समय मैंने अपना प्लेटफार्म टिकट लिया था जो निकलते समय स्टेशन पर ले लिया गया। मैं रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 6

साढ़े 6 बजे निकला था। शपथ पत्र में लिखे गये तथ्यों के संबंध में मैंने आज से पूर्व किसी जी आर पी अथवा आर पी एफ को नहीं बताया था, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं था। घटनास्थल पर मैं नहीं गया था। घटना की सूचना मुझे घटना के दिन ही मिल गयी थी। मैं नीरज चौबे को नहीं जानता हूं। मैं मृतिका नीरज देवी का सगा मामा नहीं हूं। मेरे घर उस दिन कोई शादी समारोह आदि नहीं था, स्वयं कहा कि वह अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। घटनास्थल से मेरा आवास करीब 500 मीटर की दूरी पर है। पुनः कहा कि रेलवे स्टेशन से मेरा आवास 500 मीटर दूर है। घटनास्थल मेरे घर से करीब 25-30 कि. मी. दूर है तथा मृतिका नीरज देवी के घर से घटनास्थल करीब 3-4 कि. मी दूर होगा। **टिकट मेरे द्वारा मृतिका को खरीदकर दिये जाने की बात मैंने मृतिका के पिता अनिल कुमार को घटना घटित होने के बाद बताया था।** श्रवण सिंह मृतिका नीरज देवी के पति हैं मेरी उनसे बात नहीं होती इसीलिए मैंने मृतिका को टिकट खरीदकर देने देने की बात उन्हें नहीं बताया था। मृतिका को जिस स्थान पर उतरना था उस स्थान से करीब एक डेढ़ कि. मी. पूर्व में ही यह घटना घटी थी।

19. इस प्रकार साक्षी राजीव रंजन कुमार (ए.डब्ल्यू.–2) के शपथ पत्र एवं प्रतिपरीक्षण से याचीगण के मूल आवेदन में उल्लिखित कथनों का समर्थन होता है कि मृतका वैध यात्रा टिकट के साथ यात्रा कर रही थी एवं उसकी मृत्यु ट्रेन से गिरने से हुई थी।

20. उप स्टेशन अधीक्षक, सासाराम द्वारा दिनांक 08.01.2020 को GRP/RPF/SSM को जारी **स्टेशन मेमो (प्रदर्श A/1)** के अनुसार–

> *" स्टेशन मास्टर कुदरा ने 7/40 बजे सूचना दिए कि कुदरा स्टेशन लिमिट में कि0मी0 सं0 597/11A Near East केबिन कुदरा पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 20 या 22 वर्ष है मृत अवस्था में पड़ी है। "*

21. **मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श A/2)** के अनुसार–

> *" किसी ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है। "*

22. दिनांक 08.01.2020 को समय 2:15 PM शव का **पोस्टमार्टम (प्रदर्श A/6)** शुरू हुआ जिसके अनुसार–

External Findings- 1. Frontal, both perital, both temporal bone occipital bone fracture of meninges and brain substance spelled out and badly lacerated.

2. Rt ear torned.

Cause of death- Haemorrhage and shock due to above mentioned injury caused by heavy, hard and blunt substance.

Time elapsed since death- 12 to 24 hours (approx) .

23. दिनांक 10.03.2020 को जारी **पुलिस फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श A/7)** के अनुसार–

" मृतका की मृत्यु इन्टरसिटी ट्रेन से गिर कर जख्मी होने के कारण होना प्रतीत होता है। "

24. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत **वैधानिक डीआरएम रिपोर्ट (प्रदर्श R/1)** के निष्कर्ष के अनुसार–

1.रेलवे यात्रा टिकट / प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया।

2.घटना का कोई चश्मदीद गवाह नही है।

3. मृतका के पति के द्वारा दिये गये बयान में भी किसी गाड़ी एवं रेलवे यात्रा टिकट नहीं दर्शाया गया है।

जाँच अधिकारी (प्रभारी) निरीक्षक, रे०सु०ब०/पोस्ट/सासाराम ने अपने रिपोर्ट के पैरा–21 के निष्कर्ष में निम्न कथन किया है–

" राजकीय रेल पुलिस / सासाराम के जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज व दैनिकी का अवलोकन के आधार पर ***मृतका की मृत्यु दिनांक 08.01.2020***

को सासाराम से कुदरा जाने के क्रम में कुदरा रेलवे स्टेशन से पूरब कि०मी० सं० 597/11ए पर इंटरसिटि ट्रेन से गिरकर जख्मी होने के कारण होना *बताकर दर्ज यू०डी० काण्ड सं० 01/2020 दिनांक 08.01.2020 में अन्तिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2020 को समर्पित किया गया।"*

जांच अधिकारी ने पुलिस फाइनल रिपोर्ट के तथ्यों को अपने निष्कर्ष में उद्धृत किया है जिससे याचीगण के दावा का समर्थन होता हैं, क्योंकि प्रतिवादी रेलवे द्वारा उपर्युक्त निष्कर्ष का सटीक खंडन नहीं किया गया है।

25. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 के पैरा–17.4 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

"...mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वह प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वह शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें। प्रश्नगत प्रकरण में साक्षी राजीव रंजन कुमार (ए.डब्ल्यू.–2) ने सशपथ न्यायाधिकरण के समक्ष कहा है कि "...... ***टिकट मेरे द्वारा मृतिका को खरीदकर दिये जाने की बात मैंने मृतिका के पिता अनिल कुमार को घटना घटित होने के बाद बताया था।"*** अनिल कुमार सिंह (मृतका का पिता) ने भी घटना के दिन (दिनांक 08.01.20) रेल थाना, सासाराम को अपने आवेदन में कथन किया है कि "......*मेरे साला राजीव रंजन सिंह ने ही सासाराम स्टेशन से कुदरा स्टेशन का रेल*

यात्रा टिकट कटा कर मेरी बेटी को दिये थे और इंटरसिटी ट्रेन में सासाराम स्टेशन में चढ़ा दिये थे। "**पुलिस फाइनल रिपोर्ट में भी मृतका के मामा राजीव रंजन कुमार (ए. डब्ल्यू–2) द्वारा टिकट कटाकर मृतका को देने की बात कही गयी है।** इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने किसी गार्ड, लोकोपायलट, ट्रैकमैन या किसी अन्य रेलवे कर्मचारी या पब्लिक के व्यक्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि मृतका ट्रेन की सद्‌भावी यात्री न हो तथा उसकी मृत्यु रेलवे ट्रैक को पार करने के दौरान किसी ट्रेन की चपेट में आने से या किसी अन्य कारण से हुई हो। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीना देवी के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार याचीगण प्रथमतः यह सिद्ध करने में सफल रहे कि मृतका घटना के समय वैध यात्री थी। अतः मृतका का एक वैध यात्री होना सिद्ध होता है।

26. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त वाद बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतका उक्त ट्रेन की सद्‌भावी यात्री थी एवं उसकी मृत्यु रेल यात्रा के दौरान प्रश्नगत रेलगाड़ी से अनपेक्षित दुर्घटना के कारण गिर जाने से आयी चोटों से हुयी है, जो कि रेल अधिनियम की धारा–123 (सी)(2) सपठित धारा 124–A रेल अधिनियम 1989 के अर्न्तगत परिभाषित अनपेक्षित रेल दुर्घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 2 तद्नुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या 03</u>

27. विचारणीय है कि मृतका का आश्रित कौन है? ए.डब्ल्यू–1 श्रवण सिंह के शपथ पत्र के अनुसार, श्रवण सिंह (मृतका का पति), अहना सिंह (मृतका की अवयस्क पुत्री) एवं रूद्र प्रताप सिंह (मृतका का अवयस्क पुत्र) ही मृतक के आश्रित और प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं। याचीगण द्वारा ग्राम पंचायत फेसुड़ा (चन्दौली, उ0प्र0) द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता

प्रमाणपत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन हमारे मत में पूर्णतः सिद्ध है।

28. अतः हमारे मत में याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतका के आश्रित की परिधि में आते है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 4

29. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनपेक्षित घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः हमारे मत में याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

30. आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तदनुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतका से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	श्रवण सिंह	पति	39	₹4,00,000	₹80,000	₹3,20,000
2.	अहना सिंह	पुत्री	10	₹2,00,000	शून्य	₹2,00,000*
3.	रूद्र प्रताप सिंह	पुत्र	8	₹2,00,000	शून्य	₹2,00,000*

नोटः– * अहना सिंह (मृतका की अवयस्क पुत्री) एवं रूद्र प्रताप सिंह (मृतका का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उसके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

31. अहना सिंह (मृतका की अवयस्क पुत्री) एवं रूद्र प्रताप सिंह (मृतका का अवयस्क पुत्र) के का अंश उनके पिता श्रवण सिंह के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उनके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उनके पिता श्रवण सिंह अपने अवयस्क पुत्र/पुत्री के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

32. (a) प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्णित प्रतिकर की धनराशि निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण

ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करेंगे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं हागा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक प्रत्येक याची की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक याची को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

33. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 11.12.2025

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 11.12.2025